

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष, 1941 (श॰)

संख्या- 1082 राँची, सोमवार,

30 दिसम्बर, 2019 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2019

संख्या-एल॰जी॰-11/2017-300/लेज॰ झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक-14/11/2019 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन)अध्यादेश, 2019 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या- 04, 2019)

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम - 12, 2017) में संशोधन हेतु अध्यादेश ।

प्रस्तावनाः-

चूँकि, झारखण्ड राज्य की विधान-सभा सत्र में नहीं है और चूँकि, झारखण्ड राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम 12, 2017) के कतिपय विद्यमान प्रावधानों में संशोधन, विलोपन तथा प्रतिस्थापन हेतु तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है:-

इसलिए अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते हैं:-

- 1. संक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भ- (1) यह अध्यादेश झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 कहा जाएगा।
- (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अध्यादेश के उपबंध उस तारीख को प्रवृत होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करेः

2. धारा 2 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (4) में, "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," शब्दों के पश्चात्, "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 10 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(क) उपधारा (1) में दूसरे परंत्क के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 1 - दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बहे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, किसी राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2) में,-

- (i) खंड (घ) के अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ii) खंड (ङ) में "अधिसूचित किया जाए"; शब्दों के स्थान पर, "अधिसूचित किया जाए; और" शब्द रखे जाएंगे;
 - (iii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्तिः";
- (ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-

"(2क) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष के सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,-

- (क) किसी ऐसे मालों या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय है;
- (ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;
- (ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;
- (घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और
- (ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति हैः

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्याक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।";

- (घ) उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ङ) उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (च) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (छ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 1 - इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, "सकल आवर्त" पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सिम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रिजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सिम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2 - इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, "किसी राज्य में आवर्त" निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात् :-

- (i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और
- (ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बहे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति।"।

4. धारा 22 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अथार्त् :-

"परंतु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर बीस लाख रुपए के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बहे क रूप में प्रदर्शित किया जाता है।"।

5. धारा 25 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, आर्थात् :-

"(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सब्त प्रस्त्त करेगाः

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगाः

परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रिजस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रिजस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, पिरषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाल रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तृत करेगा:

परंतु जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेत्, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक,

पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों या किसी राज्य के भाग को लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार संख्यांक" पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसका है।"।

6. नई धारा 31क का अंतःस्थापन (प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की स्विधा)

मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"31क. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रानिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।"।

7. धारा 39 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 39 में, -

- (क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-
- "(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनो की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कितपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमे विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

- (2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।";
- (ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-
- "(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस तारीख से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है:

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा:

परंतु यह और कि उपधारा (2) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।"।

8. धारा 44 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"।

9. धारा 49 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्वधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर

या उपकर संबंधी इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा ।"।

10. धारा 50 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु किसी कर अविध के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अविध के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अविध के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है।"।

11. धारा 52 का संशोधन

मूल कर अधिनियम की धारा 52 में, -

(क) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।";

(ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रिजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"।

12. नई धारा 53क का अंतःस्थापन (कतिपय रकमों का अंतरण)

मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-

"53क. जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से किसी केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या एकिकृत माल और सेवा कर अधिनियम या माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार केन्द्रीय कर खाते या एकिकृत कर खाते या उपकर खाते को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी"।

13. धारा 54 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 54 में उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(8क) "जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य कर को प्रतिदाय का वितरण कर दिया गया है, सरकार केन्द्रीय सरकार को प्रतिदाय की गई राशि के बराबर की राशि का अंतरण करेगी।"।

14. धारा 95 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 95 में,-

- (i) उपखंड (क) में, -
- (क) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे:
- (ख) "धारा 100 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;
 - (ii) उपखंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(च) 'राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण' से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।"।

15. नई धारा 101क, धारा 101ख और धारा 101ग का अंतःस्थापन

मूल अधिनियम की धारा 101 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

- "101क. (1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101(क) के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण इस अधिनियम के अन्तर्गत भी राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय प्राधिरण मानी जाएगी।
 - (2) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -
- (i) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है या किसी उच्च न्यायालय का कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यायाधीश है या रहा है;

- (ii) एक तकनीकी सदस्य (केंद्र), जो भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क) सेवा, समूह क का सदस्य है या रहा है और जिसने समूह क में कम से कम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है;
- (iii) एक तकनीकी सदस्य (राज्य), जो राज्य सरकार के मूल्यवर्धित कर अपर आयुक्त या राज्य कर अपर आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी है या रहा है और जिसे किसी विद्यमान विधि या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या वित्त और कराधान के क्षेत्र में प्रशासन का कम से कम तीन वर्ष का अन्भव है।
- (3) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके नामनिर्देशिती के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा:

परंतु अध्यक्ष के पद की, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति की दशा में, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य, उस तारीख तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, जिसको ऐसी रिक्ति भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है:

परंतु यह और कि जहां अध्यक्ष, अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, वहां राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य उस तारीख तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जिसको अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करता है ।"।

- (4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केंद्र) और तकनीकी सदस्य (राज्य) ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिशों पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (5) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की कोई नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में त्रृटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।
- (6) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पहले सरकार अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ना संभाव्य है।
- (7) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं:

परंतु राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन और भत्तों में या उनकी सेवा के अन्य निर्बंधनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी फेरफार नहीं किया जाएगा।

(8) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति का पात्र होगा।

- (9) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केंद्र) या तकनीकी सदस्य (राज्य) उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अविध के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति का भी पात्र होगा।
 - (10) अध्यक्ष या काई सदस्य, सरकार को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, सरकार द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण किए जाने तक या उसकी पदाविध के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद पर बना रहेगा।

- (11) सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी,-
 - (क) जिसे दिवालिया न्यायनिणीत कर दिया गया है; या
- (ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें ऐसी सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
- (ग) जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या
- (घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है; या
- (ङ) उसने अपने पद का ऐसे दुरूपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है:

परंतु अध्यक्ष या सदस्य को खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके विरूद्ध आरोपों की सूचना न दे दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

- (12) उपधारा (11) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों को, सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्देशित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात्, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर तथा अध्यक्ष या उक्त सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के सिवाय, पद से नहीं हटाया जाएगा।
- (13) सरकार, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के ऐसे अध्यक्ष या तकनीकी सदस्यों को, जिसकी बाबत उपधारा (12) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निर्देश किया गया है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से पद से निलंबित किया जा सकेगा।

(14) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अधयक्ष या सदस्य, पद पर न रहने पर, उस राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के समक्ष, जहां वह यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य था, उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवाक् करने के लिए पात्र नहीं होगा।"।

"101ख. (1) जहां धारा 97 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में, धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (3) के अधीन दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों के अपील प्रधिकरणों द्वारा विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा 25 में यथाविनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है और जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है, तो वह राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा:

परंतु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जहां ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको यह विनिर्णय, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकायों को संसूचित किया गया है, तीस दिन की अविध के भीतर फाइल की जाएगी:

परंतु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील फाइल कर सकेगा:

परंतु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधन हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनिधक और अविध के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अन्ज्ञात कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति तीस दिन या नब्बे दिन की अविध की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिसको अंतिम विरोधाभासी विनिर्णिय को, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था।

- (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी, उसके साथ ऐसी फीस होगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा, जो विहित की जाए।"।
- "101ग. (1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त और आयुक्त और सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिर्णय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित करने वाला ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।
- (2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर भिन्न राय है, तो उसका विनिश्चय बह्मत की राय के अनुसार किया जाएगा।

- (3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से यथासंभव रूप से नब्बे दिन की अविध के भीतर अवधारित किया जाएगा।
- (4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जएगा, जो विहित की जाए, और उसे सुनाए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड, सभी राज्यों के राज्य कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा।"।

16. धारा 102 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 102 में,-

- (क) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) "धारा 98 या धारा 101" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "यथास्थिति, धारा 98 या धारा 101 या धारा 101ग" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ग) ''या अपीलार्थी" शब्दों के स्थान पर ''या अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।

17. धारा 103 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 103 में,-

- (i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्-
- "(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा-
- (क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने धारा 103ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वहीं स्थायी खाता संख्यांक है (आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया);
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया समान स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले आधिकारी।";
- (ii) उपधारा (2) में "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. धारा 104 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 104 में,-

- (क) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उपधारा (1) में, "धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् "या धारा 101ग के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

19. धारा 105 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 105 में,-

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां";

- (ख) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे:
- (ग) उपधारा (2) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

20. धारा 106 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 106 में,-

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया";

(ख) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

21. धारा 168 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) में "धारा 39" शब्दों और अंकों के पश्चात् "धारा 44 की उपधारा (1), धारा 52 की उपधारा (4) और धारा 52 की उपधारा (5)" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

22. धारा 171 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएंगा, अर्थात्:-

"(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा:

परंतु ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए "मुनाफाखोरी" पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है।"।

23. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना एस. ओ. सं0 32, का भूतलक्षी रूप से संशोधन

(1) झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर झारखण्ड सरकार, के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना एस. ओ. सं. 32, तारिख 29 जून, 2017 की अनुसची में क्रम सं. 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से अंतःस्थापित की हुई समझी जाएंगी, अर्थात:-

1	2	3
"103क	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र"।

- (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए झारखण्ड सरकार के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो झारखण्ड सरकार के पास उक्त अधिनियम, की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।
- (3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संग्रहित किया गया है, किंतु जो संग्रहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव-सह-विधि परामशीं विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2019

संख्या-एल0जी0-11/2017-301/लेज॰ माननीया राज्यपाल द्वारा दिनांक-14/11/2019 को अनुमत झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश,2019 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2019 (Jharkhand Ordinance No. 04, 2019)

An Ordinance to amend Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act 12, 2017), in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

Preamble

Whereas the legislative Assembly of State of Jharkhand is not in session and whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action to amend and or delete and or substitute certain existing provisions and also to bring certain new provisions into the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017(Jharkhand Act No. 12, 2017).

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

- **Short title and commencement.** (1) This Ordinance may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2019.
 - (2) Save as otherwise provided, the provisions of this ordinance shall come into force on such date as the Government of Jharkhand may, by notification in the Official Gazette, appoint:

2. Amendment of section 2

In section 2 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Act), in clause (4), after the words "the Appellate Authority for Advance Ruling,", the words "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be inserted.

3. Amendment of section 10

In section 10 of the Principal Act,—

- (a) in sub-section (1), after the second proviso, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—
- "Explanation.—For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in a State.";

- (b) in sub-section (2),—
 - (i) in clause (d), the word "and" occurring at the end shall be omitted;
 - (ii) in clause (e), for the word "Council:", the words "Council; and" shall be substituted;
 - (iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—
 "(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:";
- (c) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three per cent of the turnover in State, if he is not—
 - (a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;
 - (b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;
 - (c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;
 - (d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and
 - (e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.";

- (d) in sub-section (3), after the words, bracket and figure "under sub-section (1)" at both the places where they occur, the words, brackets, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted.
- (e) in sub-section (4), after the words, brackets and figure "of sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "or, as the case may be, sub-section (2A), shall be inserted.
- (f) in sub-section (5), after the words, brackets and figure "under sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted.
- (g) after sub-section (5), the following Explanations shall be inserted, namely:-

Explanation 1. - For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2. - For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State" shall not include the value of following supplies, namely:-

- (i) supplies from the first day April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and
- (ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loan or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.'

4. Amendment of section 22

In section 22 of the Principal Act, in sub-section (1), after the second proviso, the following shall be inserted, namely:-

"Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupee to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation. - For the purpose of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

5. Amendment of section 25

In section 25 of the Principal Act, after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely.".

"(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorized representative, authorized signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons or part of the State, as the Government may, on recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation – For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.".

6. Insertion of new section 31A (Facility of digital payment to recipient)

After section 31 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"31A. The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

7. Amendment of section 39

In section 39 of the Principal Act, -

- a. for sub-section (1) and (2), the following sub-section shall substituted, namely: -
 - "(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

- (2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.",
 - b. for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1) other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1), shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provide further that every registered person furnishing return under subsection (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,".

8. Amendment of section 44

In section 44 of the Principal Act, in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

9. Amendment of section 49

In section 49 of the principal Act, after sub-section (9), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

"(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax, or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).".

10. Amendment of section 50

In section 50 of the Principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger."

11. Amendment of section 52

In section 52 of the Principal Act, -

(i) In sub-section (4), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

(ii) In sub-section (5), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that the Commissioner may, on the recommendation of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

12. Insertion of new section 53A (Transfer of certain amounts)

After section 53 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"53A. Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the Central Goods and Services Tax Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act or under the Goods and Services Tax (Compensation to State) Act, the Government shall, transfer to the central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed."

13. Amendment of section 54

In section 54 of the Principal Act, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.".

14. Amendment of section 95

In section 95 of the Principal Act, -

- i. in clause (*a*), -
 - (a) After the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;
 - (b) After the words and figures "of section 100" the words, figures and letter "or of section 101C" shall be inserted;
- ii. After clause (e), the following clause shall be inserted, namely,-
 - '(f) "National Appellate Authority" means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A.'.

15. Insertion of new sections 101A, 101B, and 101C

After section 101 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

- "101A. (1) Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.".
- (2) The National Appellate Authority shall consists of –
- (i) the President, who has been a Judge of the Supreme Court or is or has been the Chief Justice of a High Court, or is or has been a Judge of a High Court for a period not less than five years;
- (ii) a Technical Member (Centre) who is or has been a member of Indian Revenue (Customs and Central Excise) Service, Group A, and has completed at least fifteen years of service in Group A;
- (ii) a Technical Member (State) who is or has been an officer of the State Government not below the rank of Additional Commissioner of Value Added Tax or the Additional Commissioner of State tax with at least three years of experience in the administration of an existing law or the State Goods and Services Tax Act or in the field of finance and taxation.

(3) The President of the National Appellate Authority shall be appointed by the Government after consultation with the Chief Justice of India or his nominee;

Provided that in the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by the reason of his death, resignation or otherwise, the senior most Member of the National Appellate Authority shall act as the President until the date on which a new President, appointed in accordance with the provisions of this Act to fill such vacancy, enters upon his office:

Provided further that where the President is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the senior most Member of the National Appellate Authority shall discharge the functions of the President until the date on which the President resumes his duties.

- (4) The Technical Member (Centre) and Technical Member (State) of the National Appellate Authority shall be appointed by the Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of such persons and in such manner as may be prescribed.
- (5) No appointment of the Member of the National Appellate Authority shall be invalid merely by the reason of any vacancy or defect in the constitution of the Selection Committee.
- (6) Before appointing any person as the President or Members of the National Appellate Authority, the Government shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interests which are likely to prejudicially affect his functions as such President or Member.
- (7) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the President and the Members of the National Appellate Authority shall be such as may be prescribed:

Provided that neither salary and allowances nor other terms and conditions of service of the President or Members of the National Appellate Authority shall be varied to their disadvantage after their appointment.

- (8) The President of the National Appellate Authority shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier and shall also be eligible for reappointment.
- (9) The Technical Member (Centre) or Technical Member (State) of the National Appellate Authority shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall also be eligible for reappointment.
- (10) The President or any Member may, by notice in writing under his hand addressed to the Government, resign from his office:

Provided that the President or Member shall continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice by the Government, or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

- (11) The Government may, after consultation with the Chief Justice of India, remove from the office such President or Member, who
 - (a) has been adjudged an insolvent; or
 - (b) has been convicted or an offence which, in the opinion of such Government involves moral turpitude; or
 - (c) has become physically or mentally incapable of acting as such president or Member; or
 - (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such President or Member; or
 - (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the President or the Member shall not be removed on any of the ground specified inn clauses (d) and (e), unless he has been informed of the charges against him and has been given an opportunity of being heard.

- (12) Without prejudice to the provisions of sub-section (11), the President and Technical Members of the National Appellate Authority shall not be removed from their office except by an order made by the Government on the ground of proven misbehavior or incapacity after an inquiry made by a Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India on a reference made to him by the Government and such President or Member had been given an opportunity of being heard.
- (13) The Government, with the concurrence of the Chief Justice of India, may suspend from office, the President or Technical Members of the National Appellate Authority in respect of whom a reference has been made to the Judge of the Supreme Court under sub-section (12)
- (14) Subject to the provision of article 220 of the Constitution, the President or Member of the National Appellate Authority, on ceasing to hold their office, shall not be eligible to appear, act or plead before the National Appellate Authority where he was the President or, as the case may be, a Member.
- 101B. (1) Where, in respect of the questions referred to in sub-section (2) of section 97, conflicting Advance Rulings are given by the Appellate Authorities of two or more States or Union territories or both under sub-section (1) or sub-section (3) of section 101, any officer authorised by the Commissioner or an applicant, being distinct person referred to in section 25 aggrieved by such Advance Ruling, may prefer an appeal to National Appellate Authority:

Provided that the officer shall be from the States in which such Advance Rulings have been given.

(2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the applicants, concerned officers and jurisdictional officers:

Provided that the officer authorised by the Commissioner may file appeal within a period of ninety days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer or the jurisdictional officer:

Provided further that the National Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days, or as the case may be, ninety days, allow such appeal to be presented within a further period not exceeding thirty days.

Explanation – For removal of doubts, it is clarified that the period of thirty days or as the case may be, ninety days, shall be counted from the date of communication of the last of the conflicting rulings sought to be appealed against.

- (3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by such fee and verified in such manner as may be prescribed.
- 101C. (1) The National Appellate Authority may, after giving an opportunity of being heard to the applicant, the officer authorized by the Commissioner, all Principal Chief Commissioners, Chief Commissioners of Central tax and Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the rulings appealed against.
- (2) If the members of the National Appellate Authority differ in opinion on any point, it shall be decided according to the opinion of the majority.
- (3) The order referred to in sub-section (1) shall be passed as far as possible within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under section 101B.

(4) A copy of the Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be duly signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed and shall be sent to the applicant, the officer authorized by the Commissioner, the Board, the Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories and to the Authority or Appellate Authority, as the case may be, after such pronouncement."

16. Amendment of section 102

In section 102 of the Principal Act, in the opening portion, -

- a. after the words "Appellate Authority", at both the places where they occur, the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;
- b. after the words and figures "or section 101", the words, figures and letter "or section 101C, respectively," shall be inserted;
- c. for the words "or the appellant", the words "appellant, the Authority or the Appellate Authority" shall be substituted.

17. Amendment of section 103

In section 103 of the Principal Act, -

- (i) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: "(1A) The Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority under this
 Chapter shall be binding on
 - (a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under subsection (1) of section 101B and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income tax Act, 1961;
 - (b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961.";
- (ii) in sb- section (2), after the words, brackets and figure "in sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "and sub-section (1A)" shall be inserted.

18. Amendment of section 104

In section 104 of the Principal Act, in sub-section (1), -

- a. after the words "Authority or the Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.
- b. after the words and figures " of section 101", the words, figures and letter "or under section 101C" shall be inserted.

19. Amendment of section 105

In section 105 of the Principal Act, -

- a. for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: "Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.",
- b. in sub-section (1), after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

c. in sub-section (2), after the words "Appellate authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

20. Amendment of section 106

In section 106 of the Principal Act, -

- a. for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: "Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.",
- b. after the words "Appellate authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

21. Amendment of section 168

In section 168 of the Principal Act, in sub-section (2), after the word and figures "section 39", the word, brackets and figures "sub-section (1) of section 44, sub-section (4) and (5) of section 52," shall be inserted.

22. Amendment of section 171

In section 171 of the Principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:-

'(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation - For the purpose of this section, the expression "profiteered shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods and services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods and services or both.'.

23. Amendment of notification S.O. No. 32 issued under sub-section (1) of Jharkhand Goods and Services Tax Act, retrospectively

(1) in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017, issued by the Jharkhand Government on the recommendations of the Council, under sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, in the Schedule, after S.No.103 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be inserted and shall deemed to have been inserted retrospectively with effect from the 1st day of June, 2017, Namely:-

(1)	(2)	(3)
"103A	26	Uranium Ore Concentrate"

(2) For the purposes of sub-section (1), the Jharkhand Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in sub-section (1) with retrospective effect as if the Jharkhand Government had the power to amend the said notification under sub- section (1) of section 11 of the said Act, retrospectively, at all material times.

(3) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, if the notification referred to in sub-section (1) had been in force at all material times.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखंड, राँची।
